



बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग और तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
विभाग के संकल्पों, परिपत्रों आदि का संकलन

[COMPENDIUM OF RESOLUTIONS, CIRCULARS, ETC. OF THE
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT AND FORMERLY
PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT]

खण्ड — 2

VOLUME — 2

(वर्ष 2010 से जुलाई 2022 तक संकलित)

आमिर सुबहानी भा०प्र०से०

मुख्य सचिव

AMIR SUBHANI, I.A.S

Chief Secretary



बिहार सरकार

मुख्य सचिवालय, पटना-800 015

Government of Bihar

Main Secretariat, Patna-800 015

Tel. : 0612-2215804, Fax : 0612-2217085

E-mail : cs-bihar@nic.in

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2010 से अब तक अद्यतन निर्गत अधिनियमों, नियमों, संकल्पों, परिपत्रों एवं आदेशों का संकलन वेबसाईट पर ई-बुक प्रारूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। यह संकलन सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को कार्य निष्पादन एवं निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा।

मुझे विश्वास है कि यह संकलन सभी विभागों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में अत्यन्त ही उपयोगी साबित होगा। इससे न केवल सरकारी विभागों बल्कि सभी सरकारी सेवक लाभान्वित होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के जिन पदाधिकारियों, सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधक ने इस संकलन को मूर्त रूप देने में अपना मूल्यवान योगदान दिया है, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ।

(आमिर सुबहानी)

मुख्य सचिव,

बिहार

प्राक्कथन

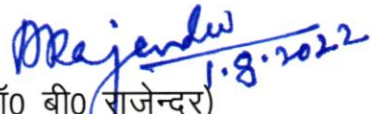
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत सरकारी अनुदेशों/परिपत्रों/संकल्पों/आदि का एक संकलन वर्ष 1978, 2001 एवं 2010 में (सभी दो खंडों में) प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2010 से अबतक बहुत-से महत्त्वपूर्ण अनुदेश/परिपत्र/संकल्प इस विभाग से निर्गत हुए हैं जिनका संकलन आवश्यक समझा गया। इस प्रसंग में बिहार विधान सभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति में आश्वासन भी दिया जा चुका है। इस संकलन कार्य के लिए श्री सतीश कुमार तिवारी, अवर सचिव को प्राधिकृत किया गया।

इस संकल्प के खंड-1 में नियुक्ति, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग नियमावली, आचार नियमावली, वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति, पद सृजन, अनुशासनिक कार्रवाई, वरीयता निर्धारण, स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रोन्नति विषयों से संबंधित अनुदेश/परिपत्र एवं संकल्प का समावेश किया गया है एवं खण्ड-2 भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार न्यायिक सेवा, संवर्ग अधिनियम/नियमावली/विनियमावली, जिला पुनर्गठन संबंधी, यौन उत्पीड़न पर रोक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, आरक्षण एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली से संबंधित है।

श्री सतीश कुमार तिवारी, अवर सचिव ने अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस संकलन कार्य को सम्पन्न किया है। इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। इस कार्य में श्री सदन कुमार झा, सहायक तथा श्री प्रमोद कुमार, सहायक द्वारा भी सराहनीय सहयोग किया गया है।

इस कम्पेन्डियम को ऑनलाईन ई-बुक (searchable) प्रकाशित करने में श्री शकील अहमद, आई0टी0 प्रबंधक एवं श्रीमती झुम्पा सिन्हा, आई0टी0 प्रबंधक की अहम एवं प्रशंसनीय भूमिका रही है।

इस संकलन के बारे में यदि कोई सुझाव हो अथवा इसमें कोई त्रुटि प्रतीत हो तो सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सुझावों का स्वागत करेगा।


(डॉ० बी० राजेन्द्र)
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।